राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–राजपत्रित / डीपीसी / एसीआर / 2017 / 822 दिनांक 14/9/17

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजस्थान।
समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
समस्त अधीक्षक, संबद्ध चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

विषयः– चिकित्सकों के बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भिजवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति हेतु निकट भविष्य में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित होने की संभावना है जिसमें पात्र चिकित्सकों को डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति दिया जाना प्रस्तावित है, इस संबंध में आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त चिकित्सकों को पाबंद करें कि वे अपना बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अविलम्ब निदेशालय में उपलब्ध करावें ताकि उन्हें डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति का लाभ दिया जा सकें। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन बकाया होने की स्थिति में डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति से वंचित रहने की जिम्मेदारी संबंधित नियत्रंण अधिकारी एवं चिकित्सक की स्वयं की होगी।

उक्त स्थिति को प्रमुख शासन सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

अतः आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त चिकित्सकों के बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अविलम्ब आवश्यक रूप से प्राप्त कर प्रतिवेदक / समीक्षक अधिकारी की टिप्पणी सहित इस निदेशालय को शीघ्रातिशीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग को भिजवा दिये जावेंगें।

संलग्नः– ए.सी.आर. सूची

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–राजपत्रित / डीपीसी / एसीआर / 2017 / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, कार्मिक (क–1 / गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक (आरसीएच / एड्स / ईएसआई), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त चिकित्सकों को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि वे अपने बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अपने प्रतिवेदक अधिकारी को अविलम्ब आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर इसकी सूचना निदेशक (जन स्वास्थ्य) को आवश्यक रूप से भिजवायें, अन्यथा निर्देशों की अवहेलना में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
7. प्रभारी, सर्वरी रूम, मुख्यालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित अधिकारियों को ई–मेल द्वारा भिजवाये जाने हेतु।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर